



मु० न०:- 34/2025

तारीखरजू:- 15/5/25

2025/104

उनवान:- राजकुमार बनाम रघुवर वगै०
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
16/5/25	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
21/5/25	<p>पत्रावली प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र से दिनांक 12/6/2025 के तलब की गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र इस बाबत पेश किया है कि इस पठाकाशय के मध्य बाजीनामा हुआ है। इस अपने प्रार्थना पत्र का प्रार्थी निम्ने पढ़ा जो मात्रे यचना नहीं चाहे है। प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इसलिउ वाडी का प्रार्थना पत्र का प्रार्थी निम्ने पढ़ा वकालत किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन के मध्य के कम फल हासिल हुए है।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

2324-26
15/5/25

